



Reserved

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

द्वितीय अपील संख्या- 805/1980

राम आसरे

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : भरत जी अग्रवाल, प्रमोद के. सिन्हा,

राकेश कुमार अग्रवाल

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अरविंद कुमार गोस्वामी

न्यायालय संख्या- 51

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

1- अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार सिन्हा तथा प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार गोस्वामी को सुना।

2- वर्तमान द्वितीय अपील सिविल अपील संख्या 188 सन् 1976 में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.04.1977 के निर्णय एवं डिक्री को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जो मूल वाद संख्या 314 सन् 1972 से उत्पन्न हुई है।

3- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता की नियुक्ति उत्तर पूर्वी रेलवे वर्कशॉप, इज्जतनगर, बरेली में एस.एस. रिबिटर के पद पर हुई थी। उक्त पद पर कार्यरत रहते हुए उसे चोरी के आरोप में दिनांक 28.07.1967 को निलंबित कर दिया गया। उसके विरुद्ध प्रारंभ की गई विभागीय जांच में दिनांक 10.04.1968 के आदेश द्वारा उसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया, जिसकी सूचना उसे दिनांक 04.05.1970/01.06.1970 के आदेश द्वारा दी गई।

4- सेवा से अपनी पदच्युति से क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता ने मूल वाद संख्या 314 सन् 1972 दाखिल करते हुए उक्त आदेश को चुनौती दी और दावा किया कि उसकी सेवा से पदच्युति अवैध एवं शून्य थी। उसने अपने मूल पद पर पुनर्बहाली के साथ-साथ वेतन एवं भत्तों के बकाये की भी मांग की।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5- अपीलकर्ता ने निलंबन एवं पदच्युति के आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी कि आरोप-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था और न ही जांच अधिकारी की नियुक्ति अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार की गई थी। उसने आगे तर्क दिया कि आरोप-पत्र अवैध था, क्योंकि उसमें जिन साक्षियों एवं दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उनकी सूची सम्मिलित नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया कि किसी आपराधिक अभियोजन के अभाव में चोरी का आरोप टिकाऊ नहीं था और जांच अधिकारी के निष्कर्ष अनुमान एवं अटकलबाजी पर आधारित थे। विचारण न्यायालय ने इस आधार पर वाद डिक्री किया कि आरोप-पत्र वर्क्स मैनेजर द्वारा जारी नहीं किया गया था और न ही जांच अधिकारी की नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई थी। परिणामस्वरूप, संपूर्ण अनुशासनात्मक कार्यवाही दूषित हो गई।

6- दिनांक 19.01.1976 के निर्णय एवं डिक्री द्वारा विचारण न्यायालय ने सेवा से पदच्युति के आदेश को निरस्त कर दिया तथा वादी-अपीलकर्ता को उसके निलंबन की तारीख से वेतन एवं भत्तों के बकाये सहित पुनः सेवा में लेने तथा वाद के लंबित रहने के दौरान लंबित वाद वेतन एवं भत्तों के भुगतान का निर्देश देते हुए वाद डिक्री कर दिया।

7- विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से क्षुब्ध होकर प्रतिवादी ने सिविल अपील संख्या 188 सन् 1976 दाखिल की। उक्त अपील स्वीकार कर ली गई और दिनांक 19.01.1976 के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वादी का वाद खारिज हो गया। अवर अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सहायक वर्क्स मैनेजर आरोप-पत्र जारी करने तथा जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए सक्षम था, क्योंकि उसे अनुशासन एवं अपील नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रमुख दंडों में से सबसे निम्न प्रमुख दंड अधिरोपित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

8- वर्तमान द्वितीय अपील अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.04.1977 के निर्णय एवं डिक्री को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है। दिनांक 22.04.1980 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने विधि के निम्नलिखित सारवान प्रश्न को विरचित किया:-

“क्या वादी-अपीलकर्ता की बर्खास्तगी से संबंधित संपूर्ण विभागीय कार्यवाही इस आधार पर अवैध है कि आरोप-पत्र समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था और जांच सेवा एवं अनुशासनात्मक नियमावली, 1961 के अन्तर्गत परिकल्पित जांच अधिकारी द्वारा नहीं



की गई थी तथा क्या अवर अपीलीय न्यायालय ने इसके विपरीत अभिनिर्धारित करके विधि की दृष्टि से त्रुटि की है?”

9- उपर्युक्त विधि के सारवान प्रश्न पर बहस करते हुए अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अवर अपीलीय न्यायालय ने सेवा एवं अनुशासनात्मक नियमावली, 1961 के प्रावधानों का गलत अर्थ लगाया है, जबकि उसने यह अभिनिर्धारित किया कि नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी, सहायक वर्क्स मैनेजर, आरोप-पत्र जारी करने तथा जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए सक्षम था। यह प्रस्तुत किया गया कि अवर अपीलीय न्यायालय ने भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम 1707 के परंतुक (ग) का संदर्भ देते हुए यह गलत रूप से अभिनिर्धारित किया कि प्रमुख दंडों में से सबसे निम्न दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम अधिकारी, आरोप-पत्र जारी करने, जांच अधिकारी नियुक्त करने, अनुशासनात्मक कार्यवाही संचालित करने तथा अंततः कोई भी प्रमुख दंड अधिरोपित करने के लिए भी सक्षम था।

10- आगे यह तर्क दिया गया कि नियमों के अन्तर्गत, जहां प्रस्तावित आरोप में प्रमुख दंड अधिरोपित किया जाना अपेक्षित हो, वहां आरोप-पत्र पर उसी प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए जो ऐसे प्रमुख दंड, जिसमें सेवा से पदच्युति अथवा बर्खास्तगी भी सम्मिलित है, अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो। वर्तमान प्रकरण में अनुशासनात्मक प्राधिकारी निस्संदेह वर्क्स मैनेजर था, जिसने अंततः सेवा से पदच्युति का आदेश पारित किया। तथापि, आरोप-पत्र सहायक वर्क्स मैनेजर द्वारा जारी किया गया था, जिसने जांच अधिकारी की नियुक्ति भी की थी। अतः अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम 1707, 1710 एवं 1712 में निहित प्रावधानों के विपरीत है और उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या के समान है।

11- इसके विपरीत, भारत संघ अर्थात् प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर ढंग से तर्क दिया कि वादी-अपीलकर्ता को लगभग 1 किलोग्राम तांबे के तार की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिसे उसने अपने जूतों में छिपा रखा था। यह प्रस्तुत किया गया कि चोरी का कृत्य सिद्ध हो जाने के दृष्टिगत सेवा से पदच्युति का दंड विधि की दृष्टि से पूर्णतः न्यायोचित था। आगे यह तर्क दिया गया कि चूंकि विचारण न्यायालय ने सेवा से पदच्युति के आदेश को चुनौती देने वाले अन्य सभी आधारों को अस्वीकार कर दिया था और केवल इस आधार पर वाद डिक्री किया था कि आरोप-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था और जांच अधिकारी की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई थी, इसलिए विभागीय जांच को चुनौती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देने वाले अन्य आधारों के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को अंतिमता प्राप्त हो गई थी और इसलिए अपीलकर्ता वर्तमान द्वितीय अपील में उन प्रश्नों पर पुनर्विचार की मांग नहीं कर सकता।

12- मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

13- यह विवादित नहीं है कि वादी-अपीलकर्ता को लगभग 1 किलोग्राम तांबे के तार की चोरी करने, जिसे उसने अपने जूतों में छिपा रखा था, के आरोप में निलंबित किए जाने के पश्चात सेवा से पदच्युत किया गया था। चूंकि वाद केवल इस आधार पर डिक्री किया गया था कि आरोप-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था और जांच अधिकारी की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई थी, जबकि जांच में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से संबंधित अन्य सभी आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया गया था, अतः उन निष्कर्षों को वादी द्वारा अपील अथवा प्रति-आपत्ति के माध्यम से कभी चुनौती नहीं दी गई और इसलिए वे अंतिमता प्राप्त कर चुके थे। चूंकि अपीलकर्ता ने शेष आधारों को अस्वीकार करने संबंधी विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी, इसलिए वे प्रश्न वर्तमान अपील में विचार किए जाने के लिए अब शेष नहीं हैं।

14- विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते समय अवर अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सामान्यतः प्रमुख दंड से संबंधित प्रकरणों में अनुशासनात्मक प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होता है। अवर अपीलीय न्यायालय ने यह मानकर कार्यवाही की कि केवल आरोप-पत्र जारी करने के सीमित प्रयोजन के लिए, “अनुशासनात्मक प्राधिकारी” की अभिव्यक्ति में ऐसे प्राधिकारी को भी सम्मिलित माना जाएगा, जो केवल प्रमुख दंडों में से सबसे निम्न दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो। नियम 1710 एवं 1712 का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि वर्तमान प्रकरण में सहायक वर्क्स मैनेजर प्रमुख दंडों में से सबसे निम्न दंड, अर्थात् निम्नतर सेवा, ग्रेड, पद, वेतनमान अथवा वेतनमान में वेतन की किसी निम्नतर अवस्था पर अवनति, अधिरोपित करने के लिए सक्षम था। उसने आगे टिप्पणी की कि नियम 1710 अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आरोपों की स्वयं जांच करने अथवा जांच अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। तदनुसार, उसने अभिनिर्धारित किया कि “अनुशासनात्मक प्राधिकारी” की परिभाषा के परंतुक के अन्तर्गत सहायक वर्क्स मैनेजर द्वारा आरोप-पत्र जारी किया जाना विधिसम्मत था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15- अवर अपीलीय न्यायालय का उपर्युक्त तर्क इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि प्रमुख दंड का प्रस्ताव करने वाले आरोप-पत्र पर ऐसे प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो उक्त प्रमुख दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो। उस समय प्रवर्तित नियमों के अन्तर्गत सेवा से पदच्युति का दंड केवल नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् वर्क्स मैनेजर द्वारा ही अधिरोपित किया जा सकता था। अतः सहायक वर्क्स मैनेजर द्वारा आरोप-पत्र जारी करना तथा जांच अधिकारी की नियुक्ति करना विधि के विपरीत था। नियम 1707, 1710 एवं 1712 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि जहां किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को केवल ऐसे प्रमुख दंड अधिरोपित करने का अधिकार दिया गया है, जो उसके अपने अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं, वहां आरोप-पत्र जारी करने अथवा जांच अधिकारी नियुक्त करने का उसका अधिकार केवल ऐसी कार्यवाहियों तक विस्तारित होता है, जिन्हें स्वयं निष्कर्षित करने के लिए वह सक्षम है। अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनाई गई यह व्याख्या कि किसी प्रमुख दंड में से किसी एक दंड को अधिरोपित करने के लिए सशक्त कोई भी अधिकारी सेवा से पदच्युति के प्रमुख दंड को अधिरोपित करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सक्षम हो जाता है, पूर्णतः अस्थिर है, क्योंकि इससे नियम 1702 की योजना निष्प्रभावी हो जाएगी, जबकि उक्त नियम विशेष रूप से सेवा से पदच्युति का दंड अधिरोपित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट करता है।

16- उपर्युक्त विवेचना के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि सेवा से पदच्युति का दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी वर्क्स मैनेजर था, जिसने वास्तव में पदच्युति का आदेश पारित किया था। अतः आरोप-पत्र पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने तथा उसे जारी किए जाने चाहिए थे। प्रस्तावित पदच्युति के दंड से संबंधित कार्यवाही में केवल वही स्वयं जांच संचालित करने अथवा जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए सक्षम था। तथापि, वर्तमान प्रकरण में आरोप-पत्र पर सहायक वर्क्स मैनेजर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने सहायक वर्क्स मैनेजर (क्रेन) को जांच अधिकारी भी नियुक्त किया था। ऐसी कार्यवाही विधि के विपरीत थी और इसलिए विधि की दृष्टि में कायम रखने योग्य नहीं है।

17- अवर अपीलीय न्यायालय ने संबंधित अनुशासनात्मक नियमों की गलत व्याख्या के आधार पर कार्यवाही की। परिणामस्वरूप, उसका दिनांक 19.04.1977 का निर्णय एवं डिक्री कायम नहीं रखे जा सकते और अपास्त किए जाने योग्य हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18- विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर अपीलकर्ता के पक्ष में दिया जाता है। परिणामस्वरूप, अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.04.1977 के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.01.1976 के निर्णय एवं डिक्री को पुनर्स्थापित किया जाता है।

19- तदनुसार, द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार)

11 अगस्त, 2026

रंजीत साहू